# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 504/2009/जयपुर**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–II, प्रतिकरापवंचन, राज., वृत–I, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

श्री तरसैन सिंह पुत्र गुरूबक्ष सिंह,
जरिये कर्नाटका दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली।

.....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ - केम्प-जयपुर**

**श्री खेमराज, अध्यक्ष**

**उपस्थित : :**

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

**निर्णय दिनांक : 01/09/2016**

## निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 966/आरएसटी/एनआरडी/97–98 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, मुख्यालय, राज., जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 21.08.1995 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 22ए(7) के तहत कायम शास्ति 1,64,894/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.1.1995 को सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या एचआर 10 7772 को रूकवा कर वहनित माल परचून सामान के बाबत पूछताछ की गयी एंव पाया कि परचूनी सामान दिल्ली से कर्नाटक राज्य के लिए परिवहन किया जा रहा था। प्रस्तुत दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी संदेहास्पद मानते हुए अधिनियम की धारा 22ए(7) के तहत् कार्यवाही करते हुए माल की कीमत 5,87,522 निर्धारित करते हुए अधिनियम की धारा 22ए(7) के तहत् शास्ति रूपये 1,64,894 आरोपित की। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.04.2008 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

क्रमशः.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवहन माल के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे, एवं माल राजस्थान राज्य के बाहर (दिल्ली) से कर्नाटक राज्य के लिए परिवहनित किया जा रहा था। सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में अंकित प्रेषक एवं प्रेषित का बिना सत्यापन किये, जो अभियोग पत्रावली से प्रमाणित भी है, शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, वह न्यायोचित प्रतित नहीं होती है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस भी प्रमाणित नही किया गया है, एव ना ही व्यवहारी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित किया गया है। व्यवहारी द्वारा चेकपोस्ट निम्बाहैडा की मोहर लगा चालान संख्या 1823 दिनांक 11.01.1995 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परिवहित माल राज्य से बाहर निकल गया है। केवल मात्र संदेह के आधार पर की गई कार्यवाही को विधिक व न्यायोचित नही कहा जा सकता है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 22ए(7) के तहत् आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण उपायुक्त अपील्स ने उचित आधार पर अपास्त की है, जो उचित प्रतित होती है।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 30.04.2008 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है, अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

7. आदेश प्रसारित किया गया।

( खेमराज )
अध्यक्ष